क्रम संख्या–114

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 13 जून, 2012 ई0

ज्येष्ठ 23, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 178/XXXVI(3)/2012/35(1)/2012

देहरादून, 13 जून, 2012

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "**उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012**" पर दिनांक 11 जून, 2012 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 09 वर्ष, 2012 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2012

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2012}

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये –

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरेसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न प्राविधानों के लिए भिन्न–भिन्न तिथि नियत की जा सकती है।

धारा 2 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005, (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में –

(1) धारा 2 की उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात् :–

"(7) **"नैमित्तिक व्यौहारी"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसी अवधि जो एक समय में 60 दिन या ऐसी अन्य अवधि जैसा कि विहित किया जाये, से कम हो, में कर्त्ता, अभिकर्त्ता अथवा किसी अन्य हैसियत से माल का क्रय, विक्रय, संम्भरण अथवा वितरण का यदा कदा संव्यवहार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करता है, या उत्तराखण्ड राज्य में कोई प्रदर्शनी के साथ विक्रय का संचालन करता है, चाहे यह नकद, या आस्थगित भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किया गया हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :–

(क) ऐसा परिवहनकर्ता, जैसा कि धारा 2 के खण्ड (49) में विनिर्दिष्ट है, या ऐसा परिवहन अभिकर्ता, जिसका उत्तराखण्ड में नियत स्थान हो अथवा न हो, और जो, किसी व्यक्ति के माल को परिवहन से पहले अथवा परिवहन के बाद या परिवहन के दौरान अपनी सुपुर्दगी में रखता हो, उत्तराखण्ड में ऐसे माल के परेषक या परेषिती का नाम बताने में असफल रहता है, अथवा ऐसे माल के बीजक/चालान की प्रति,, माल की रसीद/बिल्टी या परेषण पत्र या माल के सम्बन्ध में इसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने मे असफल रहता है, अथवा

(ख) भण्डारागार का स्वामी या पट्टेदार या अधिष्ठाता, जो अपने भण्डारागार में रखे गये किसी माल के स्वामी का नाम व पता बताने में असफल रहता है, या यह सन्तुष्टि कराने में असफल रहता है कि ऐसा माल उसके अपने प्रयोग या उपभोग के लिये है; तो यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसे परिवहनकर्ता, परिवहन अभिकर्ता या भण्डारागार का स्वामी या पट्टेदार या अधिष्ठाता द्वारा ऐसा माल अपने निजी लेखे मे खरीदा गया है।''

(2) धारा 2 के खण्ड (13) के बाद निम्नलिखित खण्ड (13–क) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात् :–

''**(13–क) "हक का दस्तावेज"** का तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है जो माल का हक प्रदान करता है और इसमें वहन–पत्र, डाक वारंट, माल की रसीद/बिल्टी, रेलवे रसीद, भण्डारागारपाल का प्रमाण पत्र, वारंट या माल के परिदान का आदेश और व्यापार के दौरान माल के कब्जे या नियंत्रण के साक्ष्य के रूप में सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले इसी प्राकर के अन्य दस्तावेज, या ऐसा दस्तावेज जो पृष्ठांकन के द्वारा या परिदान के द्वारा दस्तावेज के धारक को दस्तावेज में रूपित माल का हस्तांतरण करने अथवा प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करता है या प्राधिकृत करने को तात्पर्यित करता है।''

(3) धारा 2 के खण्ड (16) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्–

''**(16) "आयातकर्ता"** का तात्पर्य, किसी माल के सम्बन्ध में, ऐसे व्यौहारी से है, जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर माल लाता अथवा प्राप्त करता है और इसमें ऐसा ब्यौहारी भी सम्मिलित है :–

(क) जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से माल लाकर या प्राप्त करके उसकी प्रथम बिक्री करता है; या

(ख) जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के अन्दर, किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, माल प्राप्त करता है; या

(ग) जिसकी ओर से राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर लाया गया माल, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्राप्त किया गया है।''

(4) धारा 2 के खण्ड (16) के बाद निम्नलिखित खण्ड (16–क) रख दिया जायेगा; अर्थात्–

''**(16–क) "आयात"** का तात्पर्य, राज्य के बाहर से अथवा देश के बाहर से खरीदकर या अन्य विधा के परिणामस्वरूप माल का लाया जाना या प्राप्त किया जाना है।''

(5) धारा 2 के खण्ड (57) के बाद निम्नलिखित एक नया खण्ड (58) रख दिया जायेगा; अर्थात्–

"(58) **"देबसाइट"** का तात्पर्य वाणिज्य कर विभाग उत्तराखण्ड की वैबसाइट http://comtax.uk.gov.in जिसका डोमेन (domain) uk.nic.in है या ऐसी अन्य वैबसाइट से है जो कमिश्नर द्वारा अधिसूचित की जाय।"

धारा 4 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के बाद निम्नलिखित नयी धारा 4–क जोड दी जायेगी; अर्थात् :–

"4–क. कतिपय सामान के वर्ग पर भार, परिमाण, माप या इकाई के आधार पर कर का उद्ग्रहण : धारा 3 एवं धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य या विनिर्दिष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में कतिपय सामान अथवा कतिपय सामान के वर्ग पर सामान की खरीद–बिक्री पर, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के साथ, जैसा कि अधिसूचित की जाय, माल के भार, मात्रा, परिमाण, माप या इकाई के आधार पर अधिसूचना के द्वारा देय कर की धनराशि अभिनिश्चित कर सकती है।"

धारा 35 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) में आए शब्द "चार प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "छः प्रतिशत" रख दिये जायेंगे।

धारा 42 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 42 के बाद निम्नलिखित नयी धाराऐं 42–क और धारा 42–ख जोड़ दिये जायेंगे; अर्थात्–

"42–क. माल के संचलन में साथ ले जाय जाने वाले दस्तावेज एवं दी जाने वाली सूचनाऐं **किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो,** कोई माल, ऐसी मात्रा या माप या कीमत से अधिक, जैसा कि राज्य सरकार उस निमित्त अधिसूचित करे, के संचलन **का इरादा रखता** है, तो वह माल के संचलन से पूर्व इस सम्बन्ध में ऐसे दस्तावेज तैयार करेगा जिसमें ऐसी सूचनाएँ निहित हों, जैसा कि विहित किया जाय, और ऐसी सूचनाओं को ऐसे प्राधिकारी के समक्ष ऐसे प्रारूप और तरीके और ऐसे समय के अन्दर, जैसा कि विहित किया जाय, प्रस्तुत करेगा और माल के संचलन के दौरान ऐसा दस्तावेज तथा बीजक/ चालान (जो लागू हो) एवं माल के हक के दस्तावेज/ जी0आर0/ बिल्टी अथवा इन्हीं प्रकार के अन्य दस्तावेज अपने साथ रखेगा।

42–ख. माल निकासी, अग्रेषण या बुकिंग अभिकर्ता या माल परिवाहनकर्ता पर नियंत्रण

(1) प्रत्येक निकासी, अग्रेषण या बुकिंग अभिकर्ता या दलाल या माल परिवहनकर्ता या अन्य कोई व्यक्ति जिसका राज्य में, ऐसे कारबार का, अपना स्थान है, और जो अपने कारबार के दौरान किसी व्यौहारी या किसी व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से माल के हक के दस्तावेज सम्भालता है, या किसी व्यौहारी या किसी व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से माल का परिवहन करता है, या उसका परिदान लेता है, राज्य के भीतर अपने व्यापार के स्थान एवं माल के परिवहन के लिये अपने स्वामित्व के वाहनों या भाड़े पर लिये गये वाहनों की सूचना ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति के अनुसार और ऐसी अवधि में, जैसा कि विहित की जाय, प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित प्रत्येक ऐसा अभिकर्ता या व्यक्ति परिवहित, परिदत्त अथवा परिवहन के लिये प्राप्त किये गये माल के सम्व्यवहार से सम्बन्धित ऐसी सूचनाओं से युक्त, जैसा कि विहित किया जाय, पूर्ण एवं सत्य अभिलेख तथा माल के हक के दस्तावेजों की प्रति रखेगा और ऐसे प्रारूप एवं ऐसी रीति के अनुसार एवं ऐसी अवधि में जैसा कि विहित किया जाय, किसी व्यौहारी या व्यक्ति के माल के सम्व्यवहार से सम्बन्धित सत्य एवं पूर्ण विशिष्टियों एवं सूचनाओं को तथा माल के हक के दस्तावेजों की प्रति को कमिश्नर द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उल्लिखित अभिलेखों और दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष, जब भी अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।

(3) उपधारा (1) में उल्लिखित कोई अभिकर्ता या व्यक्ति कथित उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्राविधानों का उल्लंघन करता है, तो उपधारा (1) उपधारा (2) में उल्लिखित कोई प्राधिकारी ऐसे अभिकर्ता या व्यक्ति को सुनवायी का अवसर प्रदान करने के उपरान्त प्रथम उल्लंघन के लिये एक हजार रूपये से अनधिक

धनराशि, और यदि उल्लंघन लगातार रहता है तो अपराध की निरंतरता अवधि में प्रत्येक दिवस के लिये दो सौ रूपये से अनधिक धनराशि अर्थदण्ड के रूप में जमा करने के लिये निर्देशित कर सकता है।

(4) उपधारा (1) में उल्लिखित कोई अभिकर्ता या व्यक्ति परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से ऐसा कोई कार्य करता है, जिसकी परिणति कर के अपवंचन मे होती है अथवा यदि ऐसे अपवंचन का पता नहीं चलता और समय से नहीं रोका जाता, तो करापवंचन हो गया होता, विहित प्राधिकारी उसे सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त व्यौहारी अथवा व्यक्ति के सम्व्यवहार में ऐसे माल में अन्तर्ग्रस्त कीमत के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि या माल पर आरोपणिय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड के रूप में अदा करने को निर्देशित कर सकता है, ऐसे मामले में उपधारा (1) में उल्लिखित अभिकर्ता या व्यक्ति को इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए व्यौहारी समझा जायेगा और वह इस प्रकार अपवंचित कर अथवा ईप्सित अपवंचित कर को जमा करने का दायी होगा। इस प्रकार आरोपित किया गया अर्थदण्ड और कर इस अधिनियम के किसी अन्य प्राविधानों अथवा उक्त समय में लागू अन्य विधि प्राविधानों के अन्तर्गत उसके दायित्वों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले प्रभावी होगा।

स्पष्टीकरण :—

(क) निकासी, अग्रेषण, बुकिंग एजेण्ट अथवा दलाल में ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जो रेलवे परिसर, एयर कार्गो काम्प्लैक्स, कन्टेनर डिपो, बुकिंग एजेन्सी, गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी कार्यालय अथवा माल का लदान करने या माल उतारे जाने का कोई स्थान या इस युक्ति के स्थान पर निकासी, अग्रेषण या बुकिंग या माल के परिदान की सेवाऐं देता है और किसी व्यौहारी की ओर से भी, ईनाम, कमिशन, पारिश्रमिक अथवा मूल्यवान प्रतिफल या अन्य के लिये सौदा या संविदा कराता है अथवा सम्पन्न करता है; और

(ख) माल परिवहनकर्ता व्यक्ति में स्वामी के अतिरिक्त मैनेजर, अभिकर्ता, ड्राइवर, स्वामी का कर्मचारी, माल के लदान व उतारे जाने के स्थान का प्रभारी या अन्य स्थानों को माल के प्रेषण के लिये ले जाये जा रहे यान का प्रभारी अथवा परेषिती को परेषित किये गये माल का परिदान देने वाला व्यक्ति सम्मिलित होगा।

(5) धारा 51 में अन्य किसी बात के होते हुए भी इस धारा की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन पारित अर्थदण्ड आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तामिली के साठ दिन के अन्दर ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, जैसा कि विहित किया जाय, अपील कर सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसी अपील, उपधारा (3) के अधीन आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि की पचास प्रतिशत धनराशि या उपधारा (4) के अधीन आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि के पच्चीस प्रतिशत धनराशि की जमा के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही हो सकेगी।"

धारा 43 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 43 के बाद निम्नलिखित नयी धारा 43क जोड़ दी जायेगी; अर्थात्–

"43–क. राज्य के भीतर अथवा राज्य से राज्य के बाहर माल का संचलन

(1) धारा 43 में अन्य किसी बात के होते हुए भी **किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो,** (जिसे आगे परिवहनकर्ता कहा गया है), जो माल की ऐसी मात्रा या माप या कीमत से अधिक जैसा कि राज्य सरकार उसे निमित्त अधिसूचित करे, राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान के लिये अथवा राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य भीतर किसी स्थान के लिये या राज्य के भीतर किसी स्थान से दूसरे राज्य से होते हुए राज्य में किसी स्थान के लिये माल के संचलन **का इरादा रखता** है तो माल के संचलन से पहले इस सम्बन्ध में वह विहित व्यक्तिगत क्रमांकित प्रारूप (जिसे

आगे लौरी चालान कहा गया है) तैयार करेगा जिसमें परेषक और परेषिती का नाम एवं पूर्ण पता माल का विवरण अथवा मात्रा, बीजक/ चालान (जो लागू हो) एवं माल के हक के दस्तावेज/ जी0आर0/ बिल्टी अथवा इन्हीं प्रकार के अन्य दस्तावेज एवं अन्य सूचनाऐं, जैसी कि कमिश्नर द्वारा विहित की जाय;

परन्तु यह कि सरकार अधिसूचना के द्वारा माल के संचलन से पूर्व ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से, जैसी कि अधिसूचना द्वारा विहित की जाय, विहित प्राधिकारी के समक्ष लौरी चालान की प्रस्तुति के लिये व्यवस्था कर सकती है।

(2)(क) परिवहनकर्ता, ऐसे लौरी चालान की अपने द्वारा हस्ताक्षरित प्रति और ऐसे दस्तावेजों की प्रतियॉ अपने साथ रखेगा और धारा 42 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में प्राधिकृत अधिकारी की अपेक्षा पर किसी भी स्थान पर वाहन को रोकेगा और वाहन को माल व दस्तावेजों के साथ नजदीकी वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय में अथवा ऐसे अधिकारी द्वारा निर्देशित किसी अन्य स्थान पर ले जायेगा और उसे तब तक रोके रखेगा जब तक कि ऐसे अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाय और यान की तलाशी लेने देगा और माल और दस्तावेजों का निरीक्षण करने देगा :

परन्तु यह कि जहॉ माल राज्य के उसी स्थानीय क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवहन किया जा रहा है, कमिश्नर कतिपय प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ, जैसा कि वह उचित समझे, लौरी चालान अथवा हक के दस्तावेज रखे जाने की शर्त को शिथिल कर सकते हैं। यहॉ "स्थानीय क्षेत्र" से तात्पर्य ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है जैसा कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित है।

(ख) परिवहनकर्ता ऐसे लौरी चालान की प्रति, ऐसी अवधि तक जैसी कि विहित की जाय, सुरक्षित रखेगा और, जब भी अपेक्षित हो, उसे प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने

पर वह प्रति लौरी चालान पाँच सौ रूपये की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में अदा करने का दायी होगा।

(3) जहाँ माल व्यक्तिगत प्रयोग या उपभोग के लिये है और ऐसा माल किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी वाहन में परिवहन किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को लौरी चालान तैयार करने अथवा साथ रखने की आवश्यकता नहीं है।

(4) पूर्ववर्ती उपनियमों में विनिर्दिष्ट अधिकारी यदि तलाशी या निरीक्षण करने के बाद सन्तुष्ट है कि–

(क) परिवहनकर्ता विहित प्रारूप और विहित रीति में लौरी चालान तैयार या प्रस्तुत किये बिना या ऐसे लौरी चालान को साथ रखे बिना माल का परिवहन कर रहा है, या परिवहन करने का प्रयत्न, या दुष्प्रेरण कर रहा है, जिस पर यह धारा लागू होती है; या

(ख) परिवहनकर्ता माल से सम्बन्धित बीजक/ चालान (जो लागू हो) एव माल के हक के दस्तावेज/ जी0आर0/ बिल्टी अथवा इन्हीं प्रकार के अन्य दस्तावेज के बिना माल परिवहन कर रहा है या परिवहन करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण कर रहा है; या

(ग) परिवहन किये जा रहे माल का भार/मात्रा या उसके नगों की संख्या, लौरी चालान से अनाच्छादित है, तो वह–

(एक) उपरोक्त उपधाराओं में वर्णित व्यक्ति को जॉच होने तक, जो सात दिन से अनधिक होगी, किसी भी तरीके से माल को विलग करने, पुनः परिवहन करने अथवा पुनः बुकिंग न करने को निर्देशित कर सकता है;

(दो) ऐसे वाहन को माल सहित रोके रखने का आदेश कर सकता है।

(5) (क) यदि किसी भी स्तर पर ऐसे अधिकारी का, परिवहनकर्ता को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात्, यह समाधान हो जाय कि पूर्ववर्ती

उपधाराओं में वर्णित माल, विहित रीति से और विहित प्रारूप में, लौरी चालान के प्रस्तुत किये बिना परिवहन किया गया है, अथवा बिना लौरी चालान या अन्य विहित दस्तावेजों को साथ लिए, परिवहन किया गया है, और यह कि ऐसा माल:

(i) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) मे उल्लिखित अनुसूची–1में वर्णित माल से भिन्न है, और

(ii) ऐसा माल व्यक्तिगत प्रयोग या उपभोग के लिये नहीं है;

तो यह समझा जायेगा कि ऐसे माल का परिवहन इस अधिनियम के अधीन करनिर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने में सहयोग अथवा सुकर बनाने के प्रयास में किया गया है और ऐसे मामले मे अधिकारी लिखित आदेश द्वारा वाहन को अभिग्रहीत कर सकता है और धारा 43 में किसी अन्य बात के होते हुए भी परिवहनकर्ता अर्थदण्ड के रूप में वह धनराशि जमा करने का दायी होगा जिसकी गणना ऐसे माल के प्रति क्विंटल या क्विंटल के भाग के लिये पाँच सौ रूपये की दर से की जायेगी।

(5)(ख) यदि किसी भी स्तर पर ऐसे अधिकारी का, परिवहनकर्ता को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि परिवहनकर्ता द्वारा विहित रीति से और विहित प्रारूप में, लौरी चालान के साथ परिवहन तो किया जा रहा है परन्तु वाहन में पाया गया कोई माल लौरी चालान से आच्छादित नहीं है, और यह कि ऐसा माल;

(i) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में उल्लिखित अनुसूची–1में वर्णित माल से भिन्न है; और

(ii) ऐसा माल व्यक्तिगत प्रयोग या उपभोग के लिये नहीं है;

तो यह समझा जायेगा कि ऐसे माल का परिवहन इस अधिनियम के अधीन करनिर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने मे सहयोग अथवा सुकर बनाने के प्रयास में किया जा रहा है और ऐसे मामले मे अधिकारी लिखित आदेश द्वारा वाहन को अभिग्रहीत कर सकता है और धारा 43 में किसी अन्य बात के होते हुए परिवहनकर्ता अर्थदण्ड के रूप में वह धनराशि जमा करने का दायी होगा जिसकी गणना ऐसे माल के प्रति क्विटल या क्विटल के भाग के लिये पाँच सौ रूपये की दर से की जायेगी :

परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा सामान्य निर्देश जारी कर सकती है कि, **जहाँ धारा 43 (5)** अथवा धारा 43 **(7) के अन्तर्गत अर्थदण्ड अथवा ऐसी धनराशि जो सम्भाव्य अर्थदण्ड को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त हो, उपधारा (5) (ख)** में उल्लिखित परिवहनकर्ता द्वारा, जमा कर दी गयी हो तो **ऐसी परिस्थिति में उसी माल के संदर्भ में उस परिवहनकर्ता से** उपधारा **(5) (ख)** के अन्तर्गत **अर्थदण्ड की मॉग नहीं की जाएगी :**

परन्तु यह और कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा (5) में प्राविधानित अर्थदण्ड की धनराशि में वृद्धि कर सकती है।

स्पष्टीकरण :

इस अधिनियम में उल्लिखित माल के अभिग्रहण एवं अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में धारा 43 के प्राविधान यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(6) वाहन का अधिग्रहण करने वाला अधिकारी परिवहनकर्ता पर एक लिखित आदेश तामील करेगा जिसमें ऐसे अभिग्रहण सम्बन्धी तथ्य तथा वह धनराशि अंकित की जायेगी जो आरोपित किये जाने वाले सम्भाव्य अर्थदण्ड को पूरा करने के लिये

पर्याप्त राशि से अनधिक हो और ऐसी राशि को नकद जमा करने पर अभिग्रहीत किये गये वाहन को उस व्यक्ति, जिसके कब्जे अथवा नियत्रण से वाहन को अभिग्रहीत किया गया था, के पक्ष में छोड दिया जायेगा।

(7) उपधारा (6) में किसी बात के होते हुए कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर से अनिम्न पद का ऐसा अधिकारी, जिसे कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, ऐसे पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, निर्देश दे सकता है कि बिना कोई धनराशि जमा किये या ऐसी कम धनराशि जमा करने पर या अवसूलीय बैंक प्रतिभूति के रूप में प्रतिभूति जमा करने पर, जैसा वह उचित समझे, वाहन छोड़ सकता है।

(8) धारा 51 अथवा धारा 53 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (5) के अधीन परित अर्थदण्ड आदेश या उपधारा (7) के अधीन प्रतिभूति के लिये आदेश के विरूद्ध, अर्थदण्ड अथवा प्रतिभूति की धनराशि, जैसी भी स्थिति हो, के जमा के साक्ष्य प्रस्तुत किये बगैर कोई अपील नहीं की जा सकेगी।"

धारा 47 का हटाया जाना

7. मूल अधिनियम की धारा 47 हटा दी जायेगी।

धारा 48 का संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा 48 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी और तत्पश्चात् एक नयी धारा 48–क जोड़ दी जायेगी; अर्थात्–

"(1) कोई व्यक्ति या व्यौहारी (जिसे आगे इस धारा में आयातकर्ता कहा गया है) जो राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के भीतर धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में उल्लिखित अनुसूची–1 में वर्णित माल से भिन्न कोई माल ऐसी मात्रा या माप या कीमत से अधिक, जैसा कि राज्य सरकार उस निमित्त अधिसूचित करे, लाने या आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने **का इरादा रखता है**, तो वह अपने कर निर्धारक प्राधिकारी से घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र का विहित प्रपत्र प्राप्त करेगा :

परन्तु यह कि यदि आयातकर्ता कारबार के सम्बन्ध से भिन्न प्रयोजन के लिये ऐसे माल को लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने **का इरादा रखता** है, तो वह अपने विकल्प पर उसी प्रकार प्रमाण पत्र का विहित प्रपत्र प्राप्त कर सकता है :

परन्तु यह और कि कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा प्राधिकृत करदाताओं का वर्ग कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा विहित सीरीज और क्रम संख्या के घोषणा पत्र स्वयं डाउनलोड कर सकता है और इस सम्बन्ध मे बनाये गये अधिनियम एवं नियम के अनुसार उनका प्रयोग कर सकता है।

(2) जहाँ ऐसे माल का परेषण सड़क मार्ग से किया जाना है :–

(क) आयातकर्ता परेषक को सम्यक् रूप से भरे गये और अपने द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र को विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में देगा और ऐसा माल ले जाने वाला **यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो,** अपने साथ विहित रूप में परेषक द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित ऐसे घोषणा पत्र की प्रतियॉ और ऐसे अन्य दस्तावेज जो विहित किये जाय, ले जायेगा और धारा 42 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **किसी भी स्थान पर** अपेक्षा करने पर घोषणा पत्र की प्रतियॉ और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा;

(ख) आयातकर्ता उपरोक्त खण्ड (क) में उल्लिखित घोषणा पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ, जो उसे या उसके अभिकर्ता को दी गयी है, ऐसी अवधि तक संरक्षित रखेगा जैसा कि विहित किया जाय और उन्हें ऐसी रीति के अनुसार और ऐसी अवधि के भीतर करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित किया जाय।

(3) यदि ऐसा माल राज्य में व्यक्तिगत सामान के रूप में लाया जाता है तो माल लाने वाला व्यक्ति अपने साथ विहित प्रपत्र में सम्यक् रूप से भरा हुआ और आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र रखेगा और आयातकर्ता उसे इस निमित्त कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष ऐसी अवधि के अन्दर जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित की जाय, पृष्ठांकन किये जाने के लिये प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति कारबार से भिन्न प्रयोजन के लिये उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी माल को राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य में लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने **का इरादा रखता** है, और प्रमाण पत्र का विहित प्रपत्र प्राप्त करता है तो उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे मानों कि उसमें प्रयुक्त शब्द "घोषणा पत्र" के स्थान पर शब्द "प्रमाण पत्र" रखा गया हो।

(5) पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट **किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो,** धारा 42 की उपधारा (1) उपधारा और (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी स्थान पर अपेक्षा किये जाने पर वाहन को रोकेगा और उसे नजदीकी वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय या ऐसे अधिकारी द्वारा निर्देशित स्थान पर ले जायेगा और उसे तब तक रोके रखेगा जब तक ऐसे अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाय और यान की तलाशी लेने देगा और माल का और पूर्ववर्ती उपधाराओं में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने देगा और यदि अपेक्षित हो तो उसे अपना नाम और पता और यान के स्वामी या यान को भाड़े पर देने वाले का नाम व पता और माल के परेषक और परेषिती का नाम व पता भी देगा।

(6) इस धारा के अधीन यदि तलाशी लेने या निरीक्षण करने वाले अधिकारी को यह पता चले कि कोई व्यक्ति या व्यौहारी पूर्ववर्ती उपधाराओं में विनिर्दिष्ट उचित और वास्तविक दस्तावेजों के बिना किसी ऐसे माल का आयात कर रहा है या आयात करने का प्रयत्न या आयात का दुष्प्रेरण कर रहा है जिस पर यह धारा लागू होती है; तो वह –

(क) उपरोक्त उपधाराओं में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को, माल की जांच किये जाने तक जो सात दिन की अवधि से अनधिक होगी, सामान को किसी भी प्रकार से विलग न करने, पुनः परिवहन न करने अथवा पुनः बुकिंग न किये जाने के निर्देश दे सकता है।

(ख) ऐसे माल को रोकने के आदेश दे सकता है और यदि **यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो,** को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायें यह समाधान हो जाता है कि ऐसे माल को इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन के प्रयास में आयात किया जा रहा है तो वह ऐसे माल को अभिग्रहीत करने के आदेश दे सकता है :

परन्तु यह कि ऐसे अधिकारी द्वारा इस उपधारा के अधीन सम्पूर्ण अभिग्रहीत माल की एक सूची बनाई जायेगी और उसके द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी और उसकी एक प्रति उस व्यक्ति को, जिससे माल अभिग्रहीत किया गया है, दी जायेगी।

(7) उपधारा (6) के अधीन माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी अभिरक्षा में माल की सुरक्षा के सभी उपाये करेंगे और उपधारा (6) के परन्तुक में निर्दिष्ट सूची, अभिग्रहण से सम्बन्धित अन्य दस्तावेज़ों सहित सम्बन्धित कर अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

(8) यदि ऐसे कर निर्धारण अधिकारी का, **यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो,** के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात समाधान हो जाये कि माल का आयात इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने के प्रयास में इस धारा के प्राविधानों का उल्लंघन करके किया गया है, तो वह अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के 40 प्रतिशत से अनाधिक धनराशि या इस अधिनियम के इन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, अधिरोपित करेगा। ऐसे आदेश की प्रति सम्यक रूप से तामील कराई जायेगी।

(9) माल का अधिग्रहण करने वाला अधिकारी परिवहनकर्ता पर एक लिखित आदेश तामील करेगा, जिसमें ऐसे अभिग्रहण सम्बन्धी तथ्य तथा वह धनराशि अंकित की जायेगी, जो आरोपित किये जाने वाले सम्भाव्य अर्थदण्ड को पूरा करने के लिये पर्याप्त राशि से अनधिक हो और ऐसी राशि को नकद जमा करने पर अभिग्रहीत किये गये वाहन को उस व्यक्ति, जिसके कब्जे अथवा नियंत्रण से वाहन को अभिग्रहीत किया गया था, के पक्ष में छोड़ दिया जायेगा।

(10) उपधारा (9) में किसी बात के रहते हुये भी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर से अनिम्न पद का ऐसा अधिकारी जिसे कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, ऐसे पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, निर्देश दे सकता है कि बिना कोई धनराशि जमा किये या ऐसी कम धनराशि जमा करने पर, या नकद से भिन्न रूप में, जैसा वह उचित समझे, प्रतिभूति देने पर माल छोड़ दिया जाये।

(11) अर्थदण्ड या उसका ऐसा भाग जो उपधारा (9) के अधीन जमा की गयी किसी धनराशि का समायोजन करने के पश्चात शेष रह जाय, अर्थदण्ड आरोपित किये जाने के आदेश की प्रतिलिपि तामील किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, विहित रीति से, जमा किया जायेगा। चूक करने पर करनिर्धारक प्राधिकारी माल का विक्रय ऐसी रीति से करायेगा जो विहित की जाय और उसका विक्रय–आगम अर्थदण्ड के प्रति समायोजित करेगा और धारा 36 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, शेष धनराशि, यदि कोई हो, ब्यौहारी या, जैसी भी दशा हो, प्रभारी व्यक्ति को वापस कर देगा।

(12) जहॉ माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी की, उपधारा (7) में निर्दिष्ट सूची और अन्य दस्तावेज भेजने के पूर्व या तत्पश्चात करनिर्धारक प्राधिकारी की किसी समय यह राय हो कि माल शीघ्र और सहज रूप से नष्ट होने वाला है या जहाँ निर्धारित कर या, यथास्थिति, आरोपित अर्थदण्ड इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जमा नहीं किया जाता है, वहॉ माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी या, यथास्थिति, करनिर्धारक प्राधिकारी किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अनुसार की जा सके, विहित रीति से सार्वजनिक नीलामी द्वारा माल को बिकवा सकता है। ऐसे माल के विक्रय–आगम का समायोजन ऐसे विक्रय के व्यय, निर्धारित, या आरोपित अर्थदण्ड के प्रति किया जायेगा। शेष धनराशि, यदि कोई हो, ब्यौहारी या, यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति को उपधारा (9) के उपबन्धों के अनुसार वापस कर दी जायेगी।

(13) यदि उपधारा (9) के अधीन जमा की गयी धनराशि उपधारा (8) के अधीन आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि से अधिक हो, तो इस प्रकार जमा की गयी अधिक धनराशि उस अधिकारी द्वारा जिसके पास वह जमा की गई हो, ब्यौहारी या, यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति को धारा 36 के उपबन्धों के अनुसार वापस कर दी जायेगी;

स्पष्टीकरण 1 :– इस अध्याय के उद्देश्य से वाहन के प्रभारी व्यक्ति में, वाहन का स्वामी या वाहन को भाड़े पर लेने वाला, जैसी भी स्थिति हो, सम्मिलित होगा।

स्पष्टीकरण 2 :–इस अध्याय के उद्देश्य से "संचलन में माल" से अभिप्रेत है–

(क) ऐसा माल जो परिवहनकर्ता एजेन्सी या व्यक्ति अथवा ऐसे अन्य उपनिहिती के कब्जे में है अथवा नियंत्रण में है; या

(ख) ऐसा माल जो ऐसे मालस्वामी के स्वामित्व वाले वाहन में ले जाया जा रहा है; या

(ग) ऐसा माल जो किसी व्यक्ति द्वारा ले जाया जा रहा है।"

"48–क. राज्य के भीतर "ट्रिप शीट" के विरूद्ध माल का परिहवन

(1) धारा 48 में किसी अन्य बात के होते हुए भी, यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस अधिनियम के अधीन देय कर का कोई अपवंचन नहीं हो रहा है, **किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो,** (जिसे आगे परिवहनकर्ता कहा गया है), जो माल की ऐसी मात्रा या माप या कीमत से अधिक, जैसा

कि राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, राज्य के बाहर के किसी स्थान से प्रान्त के अन्दर परिवहन करने **का इरादा रखता** है, तो राज्य में प्रवेश करने से पूर्व विहित प्रारूप में (जिसे आगे ट्रिप शीट कहा गया है) सूचना तैयार करेगा और इसे ऐसी रीति से और ऐसे समय के अन्दर, जैसा कि विहित किया जाय, ऑनलाईन प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यह कि कमिश्नर द्वारा **कुछ** परिस्थितियों में ट्रिप शीट की ऑनलाईन प्रस्तुति एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिये शिथिल की जा सकती है।

(2) जहाँ ऐसे माल का परिवहन राज्य में सड़क मार्ग से किया जाना है :

(क) परिवहनकर्ता सम्यक् रूप से अपने द्वारा हस्ताक्षरित ऐसी ट्रिप शीट की प्रति तथा अन्य दस्तावेज, जैसा कि विहित किये जायें, अपने साथ रखेगा और धारा 42 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा किसी भी स्थान पर ऐसी अपेक्षा करने पर वाहन नजदीकी वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर, जैसा कि अधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाय, ले जायेगा और उसे तब तक खड़ा रखेगा जैसा कि अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाय और उसे वाहन की तलाशी लेने देगा और माल, ट्रिप शीट और अन्य दस्तावेजों की जाँच करने देगा;

(ख) परिवहनकर्ता ऐसी ट्रिप शीट की प्रति, ऐसे समय तक, जैसा कि विहित किया जाय, सुरक्षित रखेगा और जब भी इस प्रकार अपेक्षा की जाय पुनः प्रस्तुत करेगा, ऐसा न करने पर वह प्रत्येक ट्रिप शीट के लिये पाँच सौ रूपये की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में अदा करने का दायी होगा;

स्पष्टीकरण :– उन परिस्थितियों में जहाँ पर ट्रिप शीट की ऑनलाईन प्रस्तुति का शिथिलीकरण किया गया है राज्य में प्रवेश करने से पूर्व ट्रिप शीट तैयार

करने के प्राविधान और परिवहन के दौरान इसे साथ रखने के प्राविधान प्रभावी रहेंगे।

(3) जहाँ ऐसा माल राज्य के भीतर व्यक्तिगत सामान के रूप में लाया जा रहा है, वहाँ सामान लाने वाले व्यक्ति को ट्रिप शीट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) यदि उपधारा (2) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अधिकारी तलाशी अथवा जाँच करने के पश्चात् सन्तुष्ट हो जाय कि –

(क) परिवहनकर्ता विहित प्रारूप एवं रीति से ट्रिप शीट प्रस्तुत किये बिना अथवा ऐसी ट्रिप शीट की प्रति को साथ लिये बिना किसी माल का परिवहन, या परिवहन का प्रयास, या परिवहन का दुष्प्रेरण कर रहा है; या

(ख) परिवहन किये जा रहे माल का भार/मात्रा या उसके नगों की संख्या, ट्रिप शीट से अनाच्छादित है, तो वह–

(एक) उपरोक्त उपधाराओं में वर्णित व्यक्ति को माल के सत्यापन होने तक या जाँच होने तक जो सात दिन से अनधिक होगी, किसी भी तरीके से माल को विलग करने, पुनः परिवहन करने अथवा पुनः बुकिंग न करने को निर्देशित कर सकता है;

(दो) ऐसे वाहन को माल सहित रोके रखने का आदेश कर सकता है।

(5) (क) यदि किसी भी स्तर पर ऐसे अधिकारी का, परिवहनकर्ता को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात्, यह समाधान हो जाय कि पूर्ववर्ती उपधाराओं में वर्णित माल, विहित रीति से और विहित प्रारूप में, ट्रिप शीट को ऑनलाइन (online) प्रस्तुत किये बिना परिवहन किया गया है, अथवा ऐसी ट्रिप शीट की प्रति को साथ लिए बिना, परिवहन किया गया है, और यह कि ऐसा माल;

(i) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में उल्लिखित अनुसूची–1में वर्णित माल से भिन्न है; और

(ii) ऐसा माल व्यक्तिगत प्रंयोग या उपभोग के लिये नहीं है;

तो यह समझा जायेगा कि ऐसे माल का परिवहन इस अधिनियम के अधीन करनिर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने में सहयोग अथवा सुकर बनाने के प्रयास में किया जा रहा है और ऐसे मामले मे अधिकारी लिखित आदेश द्वारा वाहन को अभिग्रहीत कर सकता है और धारा 48 में किसी अन्य बात के होते हुए भी परिवहनकर्ता, अर्थदण्ड के रूप में वह धनराशि जमा करने का दायी होगा जिसकी गणना ऐसे माल के प्रति क्विंटल या क्विंटल के भाग के लिये पाँच सौ रूपये की दर से की जायेगी।

(5) (ख) यदि किसी भी स्तर पर ऐसे अधिकारी का, परिवहनकर्ता को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि परिवहनकर्ता द्वारा विहित रीति से और विहित प्रारूप में, ऑनलाइन (online) प्रस्तुत की गयी ट्रिप शीट की प्रति के साथ परिवहन तो किया जा रहा है परन्तु वाहन में पाया गया कोई माल ट्रिप शीट से आच्छादित नहीं है, और यह कि ऐसा माल;

(i) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में उल्लिखित अनुसूची–1में वर्णित माल से भिन्न है; और

(ii) ऐसा माल व्यक्तिगत प्रयोग या उपभोग के लिये नहीं है;

तो यह समझा जायेगा कि ऐसे माल का परिवहन इस अधिनियम के अधीन करनिर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का

अपवंचन करने में सहयोग अथवा सुकर बनाने के प्रयास में किया जा रहा है और ऐसे मामले मे अधिकारी लिखित आदेश द्वारा वाहन को अभिग्रहीत कर सकता है और धारा 48 में किसी अन्य बात के होते हुए भी परिवहनकर्ता अर्थदण्ड के रूप में वह धनराशि जमा करने का दायी होगा जिसकी गणना ऐसे माल के प्रति क्विंटल या क्विंटल के भाग के लिये पाँच सौ रूपये की दर से की जायेगी।

परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा सामान्य निर्देश जारी कर सकती है कि, **जहॉ धारा 48 (8)** अथवा धारा 48 **(9) के अन्तर्गत अर्थदण्ड अथवा ऐसी धनराशि जो सम्भाव्य अर्थदण्ड को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त हो, इस उपधारा में** संदर्भित परिवहनकर्ता द्वारा, जमा कर दी गयी हो तो **ऐसी परिस्थिति में उसी माल के संदर्भ में ऐसे परिवहनकर्ता से** उपधारा **(5) (ख)** के अन्तर्गत **अर्थदण्ड की मॉग नहीं की जाएगी।**

परन्तु यह और कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा (5) में प्राविधानित अर्थदण्ड की धनराशि में वृद्धि कर सकती है।

स्पष्टीकरण :

इस अधिनियम में उल्लिखित माल के अभिग्रहण एवं अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में धारा 48 के प्राविधान यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(6) वाहन अभिग्रहण करने वाला अधिकारी परिवहनकर्ता पर आदेश तामील करेगा जिसमें ऐसे अभिग्रहण का तथ्य उल्लिखित होगा और ऐसी धनराशि इंगित की जायेगी जो उस धनराशि से अधिक नहीं होगी जो आरोपित किये जाने के लिये सम्भाव्य अर्थदण्ड को पूरा करने का पर्याप्त हो, जिसके नकद जमा करने पर इस प्रकार अभिग्रहीत किया गया वाहन उस

व्यक्ति, जिसके कब्जे अथवा नियंत्रण से वाहन अभिग्रहीत किया गया है, के पक्ष में छोड़ दिया जायेगा।

(7) उपधारा (6) में किसी बात के रहते हुये भी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर से अनिम्न पद का ऐसा अधिकारी जिसे कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, ऐसे पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, निर्देश दे सकता हे कि बिना कोई धनराशि जमा किये या ऐसी कम धनराशि जमा करने पर, या नकद से भिन्न रूप में, जैसा वह उचित समझे, प्रतिभूति देने पर माल छोड़ दिया जाये।

(8) धारा 51 अथवा धारा 53 में किसी बात के रहते हुए भी उपधारा (5) के अधीन पारित अर्थदण्ड आदेश या उपधारा (7) के अधीन पारित जमानत आदेश के विरूद्ध अपील नहीं हो सकेगी जबतक कि सम्पूर्ण अर्थदण्ड की धनराशि अथवा जमानत की धनराशि, जैसी भी स्थिति हो, के जमा करने के साक्ष्य प्रस्तुत न कर दिये जायें।"

धारा 49 का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 49 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात्–

"(1) जहाँ ऐसी मात्रा, माप या कीमत जैसा कि धारा 48 की उपधारा (1) के सन्दर्भ में अधिसूचित की जाय, से अधिक कोई माल (इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अनुसूची–1 में वर्णित माल को छोड़कर) रेल, नदी, वायुमार्ग या डाक द्वारा पारेषित किया जाय तो आयातकर्त्ता–

(क) तब तक उस माल को न तो छुड़ायेगा और न छुड़वायेगा जब तक कि वह ऐसे अधिकारी को, जिसे कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में, सम्यक् रूप से भर कर और अपने द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा–पत्र को, ऐसे अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन के लिये प्रस्तुत न दे या करवादे; और

(ख) छुड़ाने के पश्चात् माल को, यथास्थिति, रेलवे स्टेशन, स्टीमर या बोट स्टेशन, एयरपोर्ट या डाकघर से तबतक न ले जायेगा और न ले जाने देगा जबतक कि माल के साथ ऐसे अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से पृष्ठांकित घोषणा पत्र की एक प्रति न हो :

परन्तु यह कि यदि पंजीकृत ब्यौहारी ने, माल को छुडाने से पूर्व अथवा छुड़वाने से पूर्व विभाग की ऑफिसियल वैबसाइट पर कमिश्नर द्वारा विहित प्रारूप में माल के सम्बन्ध में ऑनलाईन सूचना प्रस्तुत कर दी है और उस सूचना की इलैक्ट्रानिकली तैयार की गई हार्ड कापी माल के संचलन में साथ ले जायी गई है तो यह समझा जायेगा कि घोषणा पत्र के पृष्ठांकन सम्बन्धी प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है।

(2) धारा 48 की उपधारा (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) और उपधारा (13) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित रेल, नदी, या डाक द्वारा पारेषित माल के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि उस धारा के अधीन सड़क द्वारा माल के आयात पर लागू होते हैं।"

धारा 50 का संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 50 के स्थान पर पार्श्व शीर्षक सहित निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी और धारा 50 के बाद एक नयी धारा 50–क जोड़ दी जायेगी; अर्थात्–

राज्य से होकर माल का अभिवहन

"50. **ट्रांजिट पास के माध्यम से** (1) जब राज्य के बाहर के किसी स्थान से आकर राज्य से होते हुए राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को जानेवाला धारा 48 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल ले जाने वाला कोई यान राज्य से होकर गुजरे तब **ऐसे यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो,** राज्य में प्रवेश करने से पहले कमिश्नर द्वारा विहित प्रारूप (जिसे आगे ट्रांजिट पास कहा गया है) में, जिसमें माल, यान, माल के हक के दस्तावेज़/माल की रसीद/बिल्टी और माल के संचलन से सम्बनधित सूचनाओं के साथ साथ वे अन्य सूचनाएँ भी होंगी जो कमिश्नर द्वारा विहित की जाएँ, तैयार करेगा और इसे ऑनलाईन प्रस्तुत करेगा। **यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो,** ऐसे माल को ले जाते समय अपने द्वारा हस्ताक्षरित ऐसे ट्रांजिट पास की दो प्रतियाँ, माल के हक के दस्तावेज/ माल की रसीद/ बिल्टी और बीजक/ बिल या चालान/ इस तरह के अन्य

दस्तावेज अपने पास रखेगा और राज्य के बाहर जाने के बाद कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन घोषणा प्रस्तुत करेगा जिसमें, निर्धारित सूचनाओं के अतिरिक्त राज्य से बाहर जाने अथवा अन्य राज्य में प्रवेश करने के साक्ष्य का विवरण, ऐसी रीति व समय के अन्दर जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित किया जाए, देगा, तथा ऐसे अधिकारी, जिसे कमिश्नर द्वारा इस हेतु अधिकृत किया जाए, द्वारा अपेक्षा किए जाने पर माल के राज्य के बाहर चले जाने अथवा गन्तव्य राज्य में पहुँच जाने के सम्बन्ध में उसके सन्तोषानुसार साक्ष्य प्रस्तुत करेगा और ऐसा न करने पर यह उपधारणा की जायेगी कि ले जाया जाने वाला माल राज्य के भीतर ही बेच दिया गया है:

परन्तु यह कि यदि ऐसे वाहन से ले जाये गये माल का राज्य में प्रवेश करने के पश्चात् किसी अन्य वाहन से परिवहन करके राज्य के बाहर ले जाया जाय तो यह सिद्ध करने का भार कि माल वास्तव में राज्य के बाहर चला गया है, उस वाहन, के प्रभारी व्यक्ति पर होगा, जिसके लिए ट्रांजिट पास प्रस्तुत किया गया था।:

परन्तु यह और कि माल के राज्य के बाहर जाने की सूचना और ट्रांजिट पास की ऑनलाईन प्रस्तुति कमिश्नर द्वारा एक निश्चित अवधि के लिये शिथिल की जा सकती है:

परन्तु यह भी कि यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कोई करपवंचन न हो, इस धारा में उल्लिखित वाहन ऐसे स्थानों, से ही राज्य के अन्दर प्रवेश करेगा तथा राज्य के बाहर जायेगा, जो कमिश्नर द्वारा अधिसूचित किए जायँ।

स्पष्टीकरण:– ऐसी परिस्थितियों में जहाँ ट्रांजिट पास का ऑनलाईन प्रस्तुतिकरण शिथिल किया गया है, राज्य में प्रवेश करने से पूर्व ट्रांजिट पास तैयार करने के प्राविधान और परिवहन के दौरान इसे साथ रखने के प्राविधान प्रभावी रहेंगे। ऐसे मामलों में राज्य से

बाहर जाने से पूर्व माल सहित वाहन कमिश्नर द्वारा अधिसूचित स्थान पर रोका जायेगा और ट्रांजिट पास की एक प्रति कमिश्नर द्वारा इस प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। ऐसा न करने पर यह उपधारणा की जायेगी कि ले जाया जा रहा माल राज्य के अन्दर ही बेच दिया गया है।

(2) ऐसे मामले में जैसा कि उपरोक्त उपधारा में उल्लेख किया गया है, **यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो,** संयुक्त रूप से तथा पृथक–पृथक रूप से इस अधिनियम के अधीन माल की उपधारित बिक्री पर देय कर और सम्भाव्य अर्थदण्ड की धनराशि के दायी होंगे।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके बारे में उपधारा (1) के अधीन यह उपधारणा विद्यमान है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर माल बेचा गया है, पर माल के पारगमन के लिये प्रत्येक प्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले माल के लिये इस निमित्त कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पृथक रूप से कर निर्धारण किया जायेगा :

परन्तु यह कि इस प्राविधान के आरम्भ होने के दिनांक के बाद उद्भूत हुए करनिर्धारण के मामलों में ही यह प्राविधान लागू होंगे :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कोई भी कर निर्धारण अथवा अर्थदण्ड का आदेश सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।'

"50–क. निश्चित अवधि के लिये नाके (जाँच चौकी) का परिनिर्माण

इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के अपवचन रोकने अथवा जॉच करने के उद्देश्य से अथवा इस अध्याय के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये कमिश्नर कतिपय परिस्थितियों में अधिसूचना जारी करके ऐसे स्थान या स्थानों, जैसा कि वह उचित समझे, जॉच चौकियों की स्थापना अथवा नाकों का परिनिर्माण कर सकता है और ऐसे संचलन में **किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो,** जॉच चौकी या नाकों को पार करने

से पूर्व यान को रोकेगा और इस अध्याय के प्राविधानों के अनुसार माल के साथ ले जाए जाने वाले वांछित दस्तावेज इस निमित्त कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और अधिकारी को यान की तलाशी तथा माल एवं दस्तावेजों की जॉच करने देगा :

परन्तु यह कि धारा 50 में अन्य किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन, जहॉ राज्य के निकास के समीप स्थापित जॉच चौकियों अथवा नाकों पर जॉच चौकी अधिकारी के समक्ष ट्रांजिट पास की दो प्रतियॉ प्रस्तुत की जायेंगी जिसमें से एक प्रति वाहन के राज्य से बाहर जाने के साक्ष्य के रूप में अधिकारी द्वार वापस की जायेगी। ऐसा न करने पर यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसे वाहन द्वारा ले जाया जा रहा माल राज्य के भीतर बेच दिया गया है :

परन्तु यह और कि कमिश्नर एक बार में तीन माह से अधिक के लिये किसी जॉच चौकी की स्थापना अथवा नाके का परिनिर्माण नहीं कर सकेगा :

परन्तु यह अग्रेत्तर और भी कि कमिश्नर ऐसी जॉच चौकी की स्थापना अथवा नाके के परिनिर्माण के लिये जारी अधिसूचना का अनुसमर्थन राज्य सरकार से करायेगा।''

धारा 51 का संशोधन

11. मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात्–

''(1) कर निर्धारण अधिकारी अथवा कर सम्प्रेक्षा के प्रभारी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश या धारा 42 (ब) की उपधारा (3) अथवा उपधारा (4) के अन्तर्गत पारित आदेश से व्यथित कोई व्यौहारी अथवा अन्य व्यक्ति, निम्नलिखित को छोड़कर :–

(क) धारा 56 में वर्णित आदेश; या

(ख) धारा 43 की उपधारा (8) के अन्तर्गत पारित आदेश; या

(ग) धारा 43–क की उपधारा (7) के अन्तर्गत पारित आदेश; या

(घ) धारा 48 की उपधारा (10) के अन्तर्गत पारित आदेश; या

(ङ) धारा 48–क की उपधारा (5) के अन्तर्गत पारित अभिग्रहण आदेश; या

(च) धारा 48–क की उपधारा (6) अथवा उपधारा (7) के अन्तर्गत पारित आदेश ;

आदेश की प्रति की तामीली किए जाने के 60 दिन के भीतर ऐसे प्राधिकारी को अपील कर सकता है जैसा कि विहित किया जाय और वह अपील के ज्ञापन की एक प्रति कर निर्धारण प्राधिकारी पर भी तामील करायेगा।''

धारा 53 का संशोधन

12. मूल अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्–

''**(1)** धारा 51 के अधीन पारित किसी आदेश (उस धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेश को छोडकर), धारा 52 या धारा 76 के अधीन पारित किसी आदेश, धारा 57 के अधीन किसी विनिश्चय, धारा 43 की उपधारा (8) के अधीन किसी निर्देश, या धारा 43–क की उपधारा (7) के अधीन पारित किसी आदेश, या धारा 48 की उपधारा (10) के अधीन पारित किसी आदेश, या धारा 48–क की उपधारा (7) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश, विनिश्चय या निर्देश की उसके ऊपर तामीली के 90 दिन के भीतर अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।

स्पष्टीकरण :– इस उपधारा के प्रयोजन हेतु कमिश्नर से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में कोई 'व्यक्ति' पद में कमिश्नर सम्मिलित है और कमिश्नर द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार सम्मिलित है।''

धारा 56 का संशोधन

13. मूल अधिनियम की धारा 56 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात्–

''अधोलिखित के विरूद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र दाखिल नहीं होगा।

(क) कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के लिये जॉच प्रारम्भ करने हेतु धारा 24, धारा 25, धारा 26 और धारा 29 के अधीन कोई आदेश या नोटिस जारी नहीं किया जायेगा; या

(ख) धारा 42 या धारा 43 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (4), उपधारा (7) के अधीन कोई आदेश या कार्यवाही; या

(ग) धारा 43–क की उपधारा (2)(क) या उपधारा (4) या उपधारा (6) के अधीन पारित आदेश या विनिश्चय; या

(घ) धारा 43–क की उपधारा (5) के अधीन पारित अभिग्रहण आदेश या अर्थदण्ड का नोटिस या अर्थदण्ड के लिये जारी नोटिस; या

(ङ) धारा 43–क की उपधारा (6) के अधीन पारित आदेश; या